# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0195 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/08/2025 19:06 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 29/07/2025 Date To (दिनांक तक): 31/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 12:38 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/08/2025 Time (समय): 16:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/08/2025 19:06:14 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 37 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): NAGARPALIKA BHAWAN,, SHIVGANG JILA SIROHI
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KUNDANMAL RATHI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SANVATRAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1962 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   **Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | SANTOSHI NAGAR CHHAVNEE, SHIVGANJ, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | SANTOSHI NAGAR CHHAVNEE, SHIVGANJ, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA |

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   **Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARESH KUMAR AND OTHERS | | पिता:JANURAM | 1. GRAM DABLEE,JALORE,RAJASTHAN,I |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 15,000.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 15,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 29.07.2025 को परिवादी श्री कुन्दनमल राठी पुत्र श्री सांवतराम, जाति बुनकर, उम्र 63 वर्ष, निवासी सन्तोषी नगर छावनी, शिवगंज, जिला सिरोहीने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर श्री रामेश्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति के इस आशय की पेश की कि मेरी फर्म के. के. कन्ट्रक्शन कम्पनी शिवगंज के नाम से है, जिनका मालिक मैं स्वयं हूँ। मैंने शिवगंज नगर पालिका में निम्न कार्य स्टोर शाखा से किये है, जो इस प्रकार है- 1. डस्टबीन लोहा स्टेण्ड सहित आपूर्ति राशि- 95,760 2. लोहा सामग्री की वर्ष 2024-25 की पीडी राशि- 49,500 3. स्टोर शाखा में अमानत राशि 3 रसीद- 14,850 4. एल.ई.डी. का बिल- 14,400 5. प्रचार-प्रसार- 13,000 1,87,510 रूपये 6. अन्य जमा राशि और पी.डी. और पेड़ काटने- 2,40,780 कुल- 4,27,990 रूपये मैंने कुल 4,27,990 रूपये का शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में कार्य करवाये है जो यह भुगतान पैण्डिग है, मैं बिलों के भुगतान बाबत नगर पालिका में कार्यरत स्टोर कीपर शाखा प्रभारी श्री नरेश कुमार डांगी से मिला तो उन्होने मुझे बताया कि पूरे भुगतान हेतु बिलों की राशि में से 15 प्रतिशत मुझे रिश्वत के देने पड़ेंगे। पहले मैं आपके एक बिल 95,760 रूपये वाला बिल ही पास करवाउंगा। उस में से 15 प्रतिशत के हिसाब से 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मैं पास करवाने की एवज में लूंगा। मुझे यह राशि अधिशाषी अधिकारी मैडम सुश्री विनिता प्रजापत को भी देना पड़ता है। मैं मेरे जाहिज काम के लिऐ रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ मैं स्टोर प्रभारी श्री नरेश कुमार डांगी को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री नरेश कुमार डांगी के कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन-देन बकाया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करवाने का कष्ट करावे। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय में उपस्थित श्री सुरेशदान कानि. नम्बर 470 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी एवं श्री सुरशदान कानि. को चलाकर समझाया गया। परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को श्री नरेश कुमार डांगी की उपस्थित के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया की आज श्री नरेश कुमार डांगी मेरे से बात नहीं करेगा कल सुबह-सुबह कार्यालय समय पर मैं उनसे बात करूंगा तो वह मेरे से आराम से वार्तालाप कर लेंगे। इसलिऐ रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 30.07. 2025 को करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि दिनांक 30.07.2025 को मैं बस स्टेण्ड शिवगंज पर सुबह 1030 ए.एम. पर उपस्थित मिलूंगा। परिवादी को हिदायत दी की कल दिनांक 30.07.2025 को श्री नरेश कुमार डांगी की नगर पालिका शिवंगज में उपस्थिति ज्ञात कर सुबह 1030 ए.एम. पर बस स्टेण्ड शिवगंज पर उपस्थित रहना जहां भ्रनिब्यूरो सिरोही के श्री सुरेशदान कानि. आपको उपस्थित मिलेंगे। इत्यादी हिदायत दी जाकर परिवादी को रूखसत किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित स्वयं की अभिरक्षा में रखा। दिनांक 30.07.2025 को वक्त समय 0930 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री सुरेशदान कानि. को अपने कक्ष में बुलाया। परिवादी श्री कुन्दनमल राठी एवं श्री नरेश कुमार डांगी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही प्रस्तावित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर सोनी कम्पनी मॉडल नम्बर ICD-UX560F सीरीयल नम्बर 2423947 निकाल कर उसे खाली होना सुनिश्चित कर चलाने की समझाईस कर उसमें एक नया एसडी मैमोरी कार्ड हीक्वीजन कम्पनी 32 जीबी का डालकर श्री सुरेशदान कानि. नम्बर 470 को सुपुर्द किया एवं हिदायत दी कि शिवगंज बस स्टेण्ड पर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी उपस्थित मिलेंगे। जिनसे सम्पर्क कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर चलाने की समझाईस कर श्री नरेश कुमार डांगी स्टोर कीपर, नगर पालिका शिवगंज से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर लावे। इत्यादी हिदायत देकर श्री सुरेशदान कानि. को शिवगंज की तरफ रवाना किया। उसी रोज वक्त 0100 पी.एम. पर मांग सत्यापन में गये हुऐ कानि. श्री सुरेशदान ने जरिये वॉट्सअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज सेवेरे ब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवाना होकर बस

स्टेण्ड शिवगंज पहुँचा। जहां पर पूर्व हिदायत शुदा परिवादी श्री कुन्दनमल राठी उपस्थित मिले। जिन्होने मुझे बताया कि श्री नरेश कुमार डांगी नगर पालिका शिवगंज में उपस्थित है। जिस पर हम दोनों बस स्टेण्ड से रवाना होकर नगर पालिका शिवगंज के पास पहुंचे। जहां डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को सुपुर्द कर श्री नरेश कुमार डांगी स्टोर कीपर से सम्पर्क कर रिश्वत राशि से सम्बंधित वार्ता करने हेतु नगर पालिका के अन्दर भेजा। मैं नगर पालिका के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खडा रहा। लगभग एक घण्टे बाद परिवादी श्री कुन्दनमल राठी मेरे पास आया। जिनसे मैने डिजीटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर ऑफ कर सुरक्षित अपने कब्जे में रखा। परिवादी ने मन् कानि. को बताया कि श्री नरेश कुमार डांगी नगर पालिका में उपस्थित मिले। जिनसे मैने मेरे बकाया बिलों का भुगतान करने के बारे में वार्तालाप की तो उन्होने मेरे पैण्डिग बिलों में से अभी एक बिल राशि 95,760 रूपये का पास करने एवज में 15 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की है, उक्त वार्ता इस डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। मैने उक्त राशि आज शाम तक देने का कहां है, परन्तु मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000 रूपये की अभी व्यवस्था नहीं है मैं कल सुबह तक उक्त राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 31.07.2025 को सुबह 0800 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर कानि. श्री सुरेशदान को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 31.07.2025 को प्रातः 0900 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करे एवं आप डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित हालात में लेकर शिवगंज से ब्यूरो कार्यालय सिरोही के लिऐ रवाना होवे। तत्पश्चात् वक्त 0300 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गया हुआ कानि. श्री सुरेशदान भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एवं बन्द हालात में डिजीटल वॉयस रिकार्ड सुरक्षित हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया एवं जरिये वॉट्सअप कॉल बताऐ हालात पुनः दोहराये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्ड को ऑन कर सुना तो कानि. श्री सुरेशदान के द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाये जाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में रख कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन अगले रोज दिनांक 31.07.2025 को किये जाने का निर्णय लिया जाकर जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिरोही व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के नाम अलग-अलग तहरीर जारी कर श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक के मार्फत दो स्वतंत्र गवाहान कमशः डा. रोशनलाल सोकरिया पुत्र श्री हंसराज सोकरिया, जाति रेगर, उम्र 37 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी 105ए, शान्तीनगर गुर्जर की थड़ी, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर, जिला जयपुर हाल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद ओषधालय मनोरा, जिला सिरोही, मोबईल नम्बर [redacted] व श्री मनीषपाल सिंह पुत्र श्री केशरसिंह जाति राजपुत, उम्र 36 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, सारणेश्वरजी रोड सिरोही हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही, जिला सिरोही, मोबाईल नम्बर- [redacted] की तलबी कर दिनांक 31.07.2025 को प्रातः 0730 ए.एम. पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने की हिदायत दी गई। दिनांक 31.07.2025 को सुबह के समय पूर्व के पाबंदशुदा गवाहान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हुए तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू गवाहान समस्त ब्यूरो जाब्ता व परिवादी श्री कुन्दनमल राठी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित गवाहन को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुऐ कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री कुन्दनमल राठी एवं गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया एवं पढ़ाया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय कक्ष की अलमारी से निकालकर उसमें रिकॉर्डेड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को भी सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री कुन्दनमल राठी एवं आरोपी श्री नरेश कुमार डांगी स्टोर प्रभारी के मध्य रूबरू दिनांक 30.07.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ब्यूरो कानि. श्री सुरेश दान नंबर 470 के माध्यम से कार्यालय हाजा के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल प्रार्थना पत्र कर पत्रावली संधारित की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो क्लॉन पेन ड्राईव्ज तैयार किये जाकर मूल मैमोरी कार्ड का हैश वैल्यू ज्ञात किया गया। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से एसडी मैमोरी बाहर निकालकर मूल मैमोरी कार्ड को एक कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मैमारी कार्ड की सीलड थैली पर मार्क डी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत प्राथमिक साक्ष्य कब्जा ब्यूरो लिया गया एवं उक्त वार्ता की तैयार की गई दो क्लॉन पैन ड्राईव्ज को खुली हालात में रखी गई। जब्त मूल मैमोरी कार्ड की सीलड थेली मार्क डी एवं दो क्लोन पैन ड्राईव्ज मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री कुन्दनमल राठी से आरोपी श्री नरेश कुमार डांगी स्टोर कीपर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से पांच सौ-पांच सौ रूपये के तीस नोट कुल 15,000 रूपये पेश किये। जिस पर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं

सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की किया प्रतिक्रिया श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् रामेश्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन डॉ. रोशनलाल सोंकरिया व श्री मनीषपाल सिंह वरिष्ठ सहायक परिवादी श्री कुन्दनमल राठी ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109, श्री विक्रमसिंह हैड कानि. नं 36. श्री सुरेशदान कानि. नं. 470, श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119, श्रीमति ईशू कंवर महिला कानि. नं. 157, श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय डिजीटल टेप रिकार्डर, मैमोरी कार्ड, विडियो कैमरा, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूए 0819 मय कानि. ड्राईवर श्री गणेशलाल नं. 561, प्राईवेट वाहन इनोवा नम्बर आरजे 24 टीम 2865 मय ड्राईवर श्री प्रमोद कुमार एवं परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की स्वयं की निजी गाड़ी से भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवाना होकर नगर पालिका शिवगंज के आस-पास पहुंचे। जहां परिवादी ने अपनी गाड़ी को रोककर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि मैंने मेरे स्तर से मालूमात किया तो श्री नरेश कुमार डांगी स्टोर शाखा प्रभारी, नगर पालिका शिवगंज में उपस्थित है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्ड में नया मैमोरी कार्ड डालकर वॉयस रिकार्डर को चालू कर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु नगर पालिका शिवगंज के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री सुरेशदान कानि को रवाना कर हिदायत दी गई कि परिवादी द्वारा पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे करने पर उक्त ईशारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के अन्य सदस्यों को करे। कुछ समय पश्चात् श्री सुरेशदान कानि. नं. 470 ने अपने मोबाईल फोन से श्री विक्रमसिंह हैड कानि. नं. 36 के मोबाईल फोन पर वॉटसअप कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन की सूचना दी। जिस पर श्री विक्रमसिंह हैड कानि. ने उक्त सूचना मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता को दी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल हमराह दोनों गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के नगर पालिका शिवगंज के स्वास्थ्य शाखा में पहुँचे। जहां पर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी उपस्थित मिले। जिन्होने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री कुन्दनमल राठी ने रूबरू गवाहान कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक, स्टोर शाखा प्रभारी है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से 15,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर पहनी हुई जिन्स पेन्ट के आगे ही दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठे ब्ल्यू रंग की जिन्स पेन्ट एवं हल्का खांकी रंग का शर्ट पहने हुऐ व्यक्ति को अपना, दोनों स्वतन्त्र गवाह एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देते हुऐ उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम नरेश कुमार पुत्र श्री जानूराम, जाति मेघवाल, उम्र 28 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम राह, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी स्टोर शाखा एवं अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक, नगर पालिका शिवगंज, जिला सिरोही, मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। जिस पर गवाहान के रूबरू हाजिर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की ओर ईशारा कर उसे पहचानने बाबत पूछा गया तो उन्होने बताया कि हा मै इन्हे जानता हूँ, यह के. के. कन्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक है एवं इनके द्वारा नगर पालिका शिवगंज में विभिन्न प्रकार की सामग्री सप्लाई का कार्य किया जाता है। जिस पर श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री कुन्दनमल राठी से अभी-अभी कोई राशि लेने बाबत पूछा गया तो उन्होने बताया कि श्री कुन्दनमल राठी द्वारा नगर पालिका शिवगंज में प्लास्टिक डस्टबीन मय लोहे का स्टेण्ड सप्लाई किये गये थे, जिसका बिल राशि 95,760 रूपये का श्री कुन्दनमल राठी द्वारा नगर पालिका के स्टोर शाखा में प्रस्तुत किया गया था। उस समय स्टोर शाखा का चार्ज श्री महेन्द्र पटेल वरिष्ठ सहायक के पास था। उनके द्वारा ही कार्यलय नोटशीट तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई थी, मेरे पास स्टोर शाखा का चार्ज दिनांक 30.06. 2025 से है, उससे पूर्व पत्रावली भुगतान हेतु लेखा शाखा में भेज दी गई थी। जिस पर लेखा शाखा प्रभारी श्री दीपक शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा भुगतान स्वीकृति की नोटशीट अंकित कर अधिशाषी अधिकारी को पेश की गई थी। भुगतान हेतु अधिशाषी अधिकारी स्तर पर पत्रावली पैण्डिग है। श्री कुन्दनमल राठी के डस्टबीन सप्लाई का बिल राशि 95,760 रूपये पारित करने हेतु अधिशाषी अधिकारी सुश्री विनिता ने मुझे श्री कुन्दनमल राठी से 15 प्रतिशत के हिसाब से 15,000 रूपये लेने के लिए कहा था। कल दिनांक 30.07.2025 को श्री कुन्दनमल राठी उक्त बिल पारित करवाने हेतु मेरे पास आये थे तब मैने मेरे व ई.ओ. मैडम के लिए 15 प्रतिशत के हिसाब से 15,000 रूपये श्री कुन्दनमल राठी से हम दोनों के लिऐ मांगे थे। जो इन्होने अभी-अभी मुझे दिये है, जो मैने मेरे दाहिने हाथ से लेकर पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है। पास ही खड़े परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को पूछने पर उनसे आरोपी श्री नरेश कुमार की बात को ताईद करते हुऐ बताया कि नगर पालिका शिवगंज में अधिशाषी अधिकारी सुश्री विनिता द्वारा प्रत्येक बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में वसूल किये जाते है। जिस पर सुश्री विनिता अधिशाषी अधिकारी के बारे में पूछने पर श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक ने बताया कि श्री विनिता अधिशाषी अधिकारी जो कि स्वायत शासन विभाग, जयपुर में आयोजित मिटींग में भाग लेन हेतु जयपुर गयी हुई है। जिस पर सुश्री विनिता अधिशाषी अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री नरेश कुमार के मोबाईल [redacted] से सम्पर्क करवाने का प्रयास किया गया तो उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेश कुमार

वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के दो डिस्पोजल साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात तैयार दुसरे रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. एच-1 व एल.एच. -2 अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह डॉ. रोशनलाल सोकरिया से आरोपी नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी लिवाई गई तो उनके पहनी हुई ब्ल्यू कलर की जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी मिली। जिसे गवाह डॉ. रोशनलाल से चैक करवाये गये तो कुल 15,000 रूपये होने पाये गये। जिस पर गवाह श्री मनीष पाल सिंह को पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट की प्रति देकर नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त रिश्वत राशि को एक सफेद कपड़े की थेली में डालकर सीलबन्द कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। जामा तलाशी के दौरान आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के बाये जेब में 500 रूपये का एक नोट एवं एक मोबाईल आई-फोन-14, जिसके नम्बर [redacted] एवं एक लावा कम्पनी का कीपेड मोबाईल जिसके नम्बर [redacted] पाये गये। उक्त राशि 500 रूपये के बारे में श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक को पूछने पर उन्होने उक्त राशि अपने जेब खर्च के होना बताया। जिस पर उक्त 500 रूपये श्री नरेश कुमार को पुनः सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक के मोबाईलों को चैक किया गया तो उसमें कोई संदिग्ध वॉट्सअप चैट, मैसेज एवं कॉल नहीं पाये जाने पर उक्त दोनों मोबाईल पुनः श्री नरेश कुमार को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट जिसकी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई वक्त जिन्स पेन्ट के जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री नरेश कुमार के पहनने हेतु अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनाई गई। तत्पश्चात उक्त पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के रूबरू उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक के जिन्स पेन्ट के आगे के दाहिन जेब को उलटकर गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त ब्ल्यू कलर की जिन्स पेन्ट को सुखाकर जिन्स पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर भी संबधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की फर्म के. के. कन्ट्रक्शन कम्पनी शिवगंज द्वारा नगर पालिका में प्लास्टिक डस्टबीन लोहे के स्टेण्ड सहित सप्लाई के बिल के भुगतान की पत्रावली में बारे में पूछने पर श्री नरेश कुमार ने बताया कि उक्त बिल के भुगतान से सम्बंधित पत्रावली लेखा शाखा में है। जिस पर पास ही स्थित लेखा शाखा कक्ष से श्री दीपक शर्मा वरिष्ठ सहायक लेखा शाखा प्रभारी को तलब कर परिवादी के प्लास्टिक डस्टबीन लोहे के स्टेण्ड सहित सप्लाई के बिल के भुगतान की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उक्त पत्रावली लेखा शाखा में होना बताया। उक्त पत्रावली पेश करने का कहने पर श्री दीपक शर्मा वरिष्ठ सहायक ने परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की फर्म के. के. कन्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्लास्टिक डस्टबीन लोहे के स्टेण्ड सहित सप्लाई के बिल के भुगतान की पत्रावली प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन से पाया गया कि फर्म के. के. कन्ट्रक्शन कम्पनी शिवगंज की प्लास्टिक डस्टबीन लोहे के स्टेण्ड सहित की दर न्यूनतम पाये जाने पर नगर पालिका शिवगंज द्वारा फर्म को सामग्री के आदेश जारी करने पर फर्म द्वारा कुल 12 नग प्लास्टिक डस्टबीन लोहे के स्टेण्ड सहित सप्लाई कर फर्म का बिल नम्बर 134 दिनांक 04.03.2025 राशि 95760 रूपये का नगर पालिका शिवगंज में पारित हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर नगर पालिका शिवगंज के स्टोर शाखा द्वारा स्टोक रजिस्टर पर इन्द्राज कर फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली लेखा शाखा को प्रस्तुत की गई। जिसमें ई.ओ. द्वारा भुगतान की कार्यवाही करे टिप्पणी अंकित की गई । तत्पश्चात लेखा शाखा द्वारा भुगतान हेतु अधिशाषी अधिकारी की स्वीकृति हेतु पत्रावली ई.ओ. साहब को प्रस्तुत की गई। भुगतान स्वीकृति स्तर पर पत्रावली पैण्डिंग है। उक्त पत्रावली पेज संख्या 1 से 12 तक की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पत्रावली के सभी पृष्ठो पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किया किया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी महिला कानि. श्रीमती ईशू कंवर नम्बर 157 से करवाई गई। तत्पश्चात् मौके पर लोगों की अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने से सुरक्षा की

दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस, वृत शिवगंज, जिला सिरोही में किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री कुन्दनमल राठी हमराह ब्यूरो जाब्ता, जब्त शुदा मालखाना आईटम, ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटोप, प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री मय आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक के जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन मय ड्राईवर के नगर पालिका शिवगंज से रवाना होकर कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस, वृत शिवगंज, जिला सिरोही पहुच फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं धोवन कार्यवाही मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री कुन्दनमल राठी एवं आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक स्टोर शाखा प्रभारी अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक के मध्य रूबरू दिनांक 31.07.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ब्यूरो कानि. श्री सुरेश कुमार की सहायता से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट कर परिवादी श्री कुन्दनमल राठी एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो क्लॉन पेन ड्राईव्ज तैयार किये गये। तत्पश्चात मूल मैमोरी कार्ड का हैश वैल्यू ज्ञात किया गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकार्ड में से एसडी मैमोरी कार्ड बाहर निकालकर मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मैमारी कार्ड की सील्ड थैली पर मार्क टी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत प्राथमिक साक्ष्य कब्जा ब्यूरो लिया गया एवं उक्त वार्ता की तैयार की गई दो क्लॉन पैन ड्राईव्ज को खुली हालात में रखी गई। जब्त मूल मैमोरी कार्ड की सील्ड थैली मार्क टी एवं दो क्लोन पैन ड्राईव्ज मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाये गये। तत्पचश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम निरीक्षक पुलिस, श्रीमति ईशु कंवर महिला कानि., श्री विक्रम सिंह मुआ., हमरा आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक, मय विडियो कैमरा के जरिये सरकारी वाहन मय ड्राईवर श्री गणेश लाल के उप अधीक्षक पुलिस वृत्त कार्यालय शिवगंज से रवाना होकर रामदेवजी की गली कलापुरा, शिवगंज आरोपी के किराये के रहवासी कमरे पर पहुंच कमरे की खाना तलाशी ली गई तो तो उक्त 10x10 फीट के कमरे में इस्तेमारी कपड़े, लकड़ी का सिंपल बैड मय गद्दा एवं रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान पाया गया इसके अतिरिक्त कोई आपत्तीजनक राषि, वस्तु एवं दस्तावेजात नहीं पाये गये न हीं कब्जा ब्यूरो लिया गया। कमरे में ए.सी. एवं एल.ई.डी. लगी हुई है जो मकान मालिक की होना पाया गया। इसलिऐ आरोपी श्री नरेष कुमार के रहवासी किराये के कमरे की खाना तलाषी फर्द मुर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया गया। ताबाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के वहां से रवाना होकर कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत शिवगंज पहुंच अग्रिम कार्यवाही करते हुए दस्तयाब शुदा आरोपी श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक एवं ट्रेप बॉक्स की निगरानी हेतु श्री चेलाराम हैड कानि एवं श्री सुरेश दान कानि को मामुर किया गया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी श्री कुन्दनमल राठी व ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम निरीक्षक पुलिस के घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु जरिये सरकारी वाहन मय ड्राईवर श्री गणेश लाल के नगर पालिका शिवगंज पहुंच परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नजरी नक्शा मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। बाद घटना स्थल निरीक्षण के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान नगर पालिका शिवगंज से कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत शिवगंज पहुंचा। तत्पश्चात् सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही कार्यालय के विडियो कैमरे से ब्यूरो की महिला कानि श्रीमति ईशु कंवर द्वारा विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त विडियोग्राफी विडियो कैमरा में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। विडियो कैमरे को रूबरू गवाहान के कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से कनेक्ट कर दो क्लॉन पेन ड्राईव तैयार की गई। तत्पश्चात मूल मैमोरी कार्ड का हैश वैल्यू ज्ञात किया जाकर विडियो कैमरा में से एसडी मैमोरी कार्ड बाहर निकालकर मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मैमारी कार्ड की सील्ड थैली पर मार्क वी अंकित किया जाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया एवं उक्त विडियोग्राफी की तैयार की गई दो क्लॉन पैन ड्राईव को खुली हालात में रखी गई। जब्त मूल मैमोरी कार्ड की सील्ड थैली मार्क वी एवं दो क्लोन पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गये। उपरोक्त कार्यवाही में सामने आऐ तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जानूराम, जाति मेधवाल, उम्र 28 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम राह, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी स्टोर शाखा एवं अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक, नगर पालिका शिवगंज, जिला सिरोही, के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने से गिरफ्तारी के कारणों व आधारों की पूर्ण सूचना दी जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली करते हुए गिरफ्तारी की सूचना इनके कहेनुसार वहीं पर उपस्थित उनके बडे भाई श्री रेखाराम डांगी को दी जाकर ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री कुन्दनमल राठी को अपनी सकूनत के लिए रूखस्त किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहन, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नरेश कुमार एवं

ब्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, जब्त शुदा मालखाना आईटम के जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन के कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत शिवगंज से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुंच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली की हवालात में जमा करवाया गया जिसे प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद जरिये रिमाण्ड पेश न्यायालय किया जावेगा। दौराने ट्रेप कार्यवाही बतौर वजह सबूत साक्ष्य कब्जा ब्यूरो लिये गये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सीलबंद मूल मैमोरी कार्ड मार्क-डी मय खुली हालात में दो क्लॉन पैन ड्राईव्ज, रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप की मूल मैमोरी कार्ड मार्क-टी मय खुली हालात में दो क्लॉन पैन ड्राईव्ज, रिश्वती राशि 15,000 /- रूपये शील्ड शुदा, ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी की सील शुदा मूल मैमोरी कार्ड मय दो पैन ड्राईव्ज, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन की शीशीयां कमशः मार्क- आर.एच.-01, आर.एच.-02, एल.एच.-01, एल. एच.-02 तथा आरोपी के वक्त वाका पहना हुआ जींस पैन्ट एक सफेद कपड़े की थैली में सीलशुदा मार्क-पी मय धोवन की शीशीयां क्रमशः मार्क- पी-01 व पी-02 इत्यादि मालखाना प्रादर्श श्री चेला राम मुआ नं 109 को सुपुर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। इस प्रकार परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं वक्त दस्तयाबी मौके पर आरोपी वरिष्ठ सहायक श्री नरेश कुमार द्वारा बताये गये कथनों एवं नगर पालिका शिवगंज से प्राप्त परिवादी श्री कुन्दनमल राठी के प्लास्टीक डस्टबीन मय लोहे के स्टैण्ड भुगतान से सम्बंधित पत्रावली के अवलोकन नोटशीट से पाया गया कि परिवादी के बिल का भुगतान अधिशाषी अधिकारी सुश्री विनित के स्तर पर लंबित था। जिसके क्रम में परिवादी श्री कुन्दनमल राठी की फर्म के. के. कन्ट्रक्शन द्वारा नगर पालिका शिवगंज के स्टोर को आपूर्ति किये गये प्लास्टिक डस्टबीन मय लोहे के स्टैण्ड सहित अन्य लंबित बिलों का भुगतान कार्य करवाने की एवज में आरोपी श्री नरेष कुमार पुत्र श्री जानूराम, जाति मेघवाल, उम्र 28 वर्ष, पैषा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम डाबड़ी, राह, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी स्टोर शाखा एवं अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक, नगर पालिका षिवगंज, जिला सिरोही द्वारा स्वयं एवं अधिकारी के लिए कमीशन के रूप में परिवादी से 15,000 रूपये की राशि वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध तरीके से मांग कर प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी श्री नरेष कुमार पुत्र श्री जानूराम, जाति मेघवाल, उम्र 28 वर्ष, पैषा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम राह, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी स्टोर शाखा एवं अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक, नगर पालिका षिवगंज, जिला सिरोही एवं अन्य अधिकारी द्वारा धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस 2023 का अपराध प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस 2023 में आरोपी 1- श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जानूराम, जाति मेघवाल, उम्र 28 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम राह, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रभारी स्टोर शाखा एवं अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक, नगर पालिका शिवगंज, जिला सिरोही एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पदमपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर एस.यू. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 11 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1106−09 दिनांक 01.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली,2.-निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** PADAMPAL SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/08/2025 19:09:46

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** MAHAVEER PRASAD

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 01/01/1994 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)